समस्या का संक्षिप्त विवरण

भारत में मानव तस्करी के पीड़ितों की जांच और पहचान

अवैध व्यापार के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जांच और पहचान महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इस शोध ने पुलिस द्वारा प्रभावी व कुशल जांच और पहचान की दिशा में कई बाधाओं और चुनौतियों की पहचान की है। इनमें से कुछ प्रणालीगत चुनौतियां हैं, जबकि अन्य पितृसत्तात्मक व सामाजिक नियमों में निहित धारणाओं व पूर्वाग्रहों से संबंधित हैं।

जब अवैध व्यापार के शिकार (चाहे वे किसी भी लिंग के हों) दरारों से फिसल जाते हैं और उन्हें अपराध के शिकार के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तो उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली और उन सेवा वितरण व्यवस्थाओं से परे कर दिया जाता है, जो उनके समग्र पुनर्वास तथा उन्हें अपने परिवारों/समुदाय के साथ पुनः एकीकरण के लिए प्रदान होनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां यौन शोषण के शिकार लोगों की पुलिस द्वारा 'सहमति' से वेश्यावृत्ति में महिलाओं/युवा लड़कियों के रूप में गलत पहचान की जाती है– उनके साथ 'पीड़ित' के रूप में व्यवहार किए जाने के बजाय, उन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा, तस्करी से संबंधित अपराधों के शिकार व्यक्तियों के रूप में लोंगों की जांच के दौरान 'हिंसा' या 'लिंग आधारित हिंसा' की कोई खोज नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370, नियम के बतौर, हिंसा से निपटने वाले प्रावधानों व अन्य कानूनों से लिंग आधारित हिंसा के तहत आरोप तय करने की संभावना की जांच किए बिना, लागू होती है।

प्रमुख शोध निष्कर्ष

पीड़ितों की जांच में कई हितधारक शामिल होते हैं

पुलिस (मानव तस्करी रोधी इकाइयों सहित), सीमा और आव्रजन अधिकारी, श्रम निरीक्षक, और सेवा प्रदाता (सरकारी और गैर–सरकारी दोनों) भारत में पीड़ितों की पहचान करते हैं। मानव तस्करी पीड़ितों के लिए स्वयं की पहचान करना दुर्लभ है। अन्य स्रोत हैं – जहां सेवा प्रदाता पीड़ितों को प्राप्त करते हैं– अदालतें, सामाजिक कार्यकर्ता, बाल कल्याण समितियां और हेल्पलाइन। लिंग आधारित हिंसा पीड़ित ज्यादातर सीधे पुलिस और सेवा प्रदाताओं से मदद मांगते हैं।

अवलोकन

यह समस्या विवरण 'भारत में लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी की जांच और समर्थन सेवाओं का अनुकूलन' रिपोर्ट पर आधारित है। इस शोध ने दो प्रमुख खामियों का पता लगायाः पद्ध जांच और पहचान, और पपद्ध मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों को सेवा प्रदान करना।

यह अध्ययन मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के परस्पर अंतर्संबंधों, पीड़ितों की पहचान पर इसके परिणामी प्रभाव के गहन अध्ययन पर आधारित है, जिससे पीड़ितों को प्रभावी सेवा वितरण के अंतिम परिणाम तक ले जाती है, कि इन्हें एकीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

यह संक्षिप्त प्रयास मानव तस्करी के पीड़ितों/या तस्करी के संभावित पीड़ितों की जांच और पहचान करने में पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करता है। जांच और पहचान प्रक्रिया में सुधार के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावी तरीके से सूचित करने के उद्देश्य से अनुसंधान से उभरी लक्षित सिफारिशों के साथ इस समस्या विवरण का समापन होता है।

इस शोध को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुदान द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यहां प्रस्तुत विचार, जानकारियां और निष्कर्ष लेखक के हैं, और जरूरी नहीं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग से मेल खाते हों।

FXB INDIA SURAKSHA
ENDING POVERTY, RESTORING DIGNITY

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

शोध का दृष्टिकोण

भारत के विशाल भूगोल को देखते हुए छह राज्यों दिल्ली, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर को शोध के लिए चुना गया था। यह अध्ययन माध्यमिक डेटा और साहित्य विश्लेषण, कानूनी ढांचे के अध्ययन और, प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार, फोकस समूह चर्चा, और क्षेत्र से एकत्र किए गए केस स्टडी के माध्यम से किए गए प्राथमिक क्षेत्र अनुसंधान से विश्लेषण पर आधारित है। निष्कर्षों व सिफारिशों तक पहुंचने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों (पुलिस, अभियोजक, न्यायाधीश और सीमा अधिकारी), सेवा प्रदाताओं (आश्रय गृह, गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी), और पीड़ितों (टीआईपी और जीबीवी) के साथ कुल 70 प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार आयोजित किये गये। अनुसंधान कार्यप्रणाली को कोविड–19 महामारी प्रतिबंधों के अनुकूल बनाया गया था, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष चर्चाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में रूपांतरित कर दिया गया।

कानून प्रवर्तन द्वारा लैंगिक रुढ़िबद्धता

शोध से पता चलता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लैंगिक पूर्वाग्रह, पीड़ितों की पहचान को प्रभावित करते हैं। पीड़िता की कहानी पर अक्सर विश्वास नहीं किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट की गई घटना की प्रामाणिकता पर सवाल उठाती है। कुछ मानव तस्करी पीड़ितों ने बताया कि पुलिस द्वारा छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान, उन्हें 'ग्राहक' या वेश्यालय के मालिक द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था। अक्सर, घरेलू हिंसा की खबरों को प्रकाश में लाया जाता है और महिलाओं को स्थिति से 'समझौता' करने की सलाह दी जाती है। यौन हिंसा की शिकायतों को आम तौर पर संदेह की नजर से देखा जाता है और माना जाता है कि इस घटना में पीड़िता की 'सहभागिता' रही है। संकीर्ण धारणा व लिंग संबंधित संकीर्ण समझ का अर्थ यह भी है कि पुरुषों और अन्य लिंगों के उत्पीड़न की अपर्याप्त समझ है, जिससे 'पीड़ित का नारीकरण' होता है।

लिंग आधारित हिंसा व मानव तस्करी पीड़ितों में अंतर्संबंध संबंधी सीमित

अध्ययन के हिस्से के बतौर साक्षात्कार किए गए पीड़ितों ने इस बात पर जोर दिया कि लिंग आधारित हिंसा तस्करी के लिए अधिक असुरक्षा पैदा करता है और प्रमुख कारक तथ्यों को सामाजिक–आर्थिक क्षति, आकांक्षात्मक प्रवास, शारीरिक व भावनात्मक शोषण तथा परिवार के भीतर मानसिक आघात के रूप में गिना जाता है। पारिवारिक शोषण से बचने का प्रयास अक्सर व्यक्ति को अवैध व्यापार करने वालों के जाल में फंसने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि साक्षात्कार के उत्तरदाता लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी के बीच संबंध बनाने में सक्षम थे, मगर तस्करी की स्थितियों में लिंग आधारित हिंसा की घटना को पहचानने व संबद्ध करने की उनकी क्षमता सीमित या गायब थी। यह शोध की सबसे महत्वपूर्ण खोज के रूप में उभरता है जहां हिंसा का संदर्भ और प्रकृति, चाहे वह लिंग आधारित हिंसा या मानव तस्करी के परिणामस्वरूप हो, प्रथम उत्तरदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझा और स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार लिंग आधारित हिंसा और मानव तस्करी को, उनकी परस्पर संबद्धता को समझे बिना, और 'हिंसा' के आपसी लिंक की स्पष्ट समझ के बिना, एक–दूसरे से अलग–थलग देखा जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे में दखल देते हैं। कानून प्रवर्तन अधिकारी मानव तस्करी को लिंग आधारित हिंसा या लिंग आधारित हिंसा के कारण तस्कर व्यक्ति की अत्यधिक कमजोरियों के स्वाभाविक परिणाम के रूप में नहीं देखते हैं। इस बहिष्करण दृष्टि का दोनों प्रकार के पीड़ितों की पहचान और सेवा वितरण दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

मार्गदर्शक प्रोटोकॉल का अभाव

भारत में मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों की पहचान करने के लिए पुलिस को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मानक प्रोटोकॉल और संकेतक नहीं हैं। हालांकि कुछ एसओपी और प्रोटोकॉल समय–समय पर विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य नागरिक समाज संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं, मगर ये मानव तस्करी के पीड़ितों की पहचान पर केंद्रित नहीं हैं। इसलिए पुलिस अवैध व्यापार के बारे में अपनी समझ पर भरोसा करती है और पीड़ितों की पहचान करने का प्रयास करती है, हालांकि बहुत सफलतापूर्वक नहीं।

सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण का अभाव

ाोध इंगित करता है कि लिंग आधारित हिंसा और/या मानव तस्करी पर काम करने से पहले पहले उत्तरदाताओं को अक्सर बहुत कम या कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता है। हालांकि हाल के दिनों में, विशेष रूप से पुलिस के लिए, सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है, लेकिन खराब फालो–अप प्रशिक्षण को अप्रभावी बना देता है। इसके अतिरिक्त, उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शायद ही कोई मूल्यांकन और आंकलन होता है।

मानव तस्करी पीड़ितों से जुड़ी विभिन्न शर्तों पर खराब वैचारिक स्पष्टता

कानून प्रवर्तन और सेवा प्रदाताओं के बीच मानव तस्करी पीड़ितों से जुड़ी विभिन्न शब्दों– मसलन जोखिम वाली आबादी, संभावित और अनुमानित पीड़ित– को लेकर अपर्याप्त समझ है। ये अलग–अलग शब्द 'पीड़ित' को परिभाषित करने और तस्करी निरंतरता के विभिन्न चरणों में मानव तस्करी पीड़ितों के रूप में लोगों की पहचान और जांच से जुड़ी जटिलता को परिभाषित करने की मूलभूत समस्याएं पैदा करते हैं। हालांकि, तस्करी की बहु–स्तरीय और चौंका देने वाली यात्रा में मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान करने के लिए सुस्पष्ट परिभाषित तंत्र का पूर्ण अभाव है, जो सटीक रोकथाम व उचित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, भारत से प्रवास करने वाली नेपाली महिलाओं के समूहों को अक्सर आगे की यात्रा करने से रोक दिया जाता है और उन पर बिना किसी विस्तृत जांच के अवैध व्यापार पीड़ितों के रूप में ठप्पा लगा दिया जाता है, और उन्हें वापस नेपाल वापस भेज दिया जाता है। दोनों देशों में, इस बात की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इनमें से कितने सचमुच संबंधित घरेलू हिंसा/लिंग आधारित हिंसा अनुभव वाली मानव तस्करी के शिकार हैं, या कितने केवल अपनी स्थिति से भागने की कोशिश करने वाले घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा पीड़ित हैं। कानून प्रवर्तन/गैर सरकारी संगठनों द्वारा इस बात का भी संज्ञान नहीं लिया गया है कि प्रवास करने वाली महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आ सकती हैं, और उन्हें 'पीड़ित' के रूप में बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए।

हितधारकों के बीच खराब समन्वय और सहयोग

मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की पहचान और जांच में शामिल हितधारक खराब अंतर–संस्थागत तालमेल के साथ काम करते हैं। मुख्य मुखबिर साक्षात्कारों से हितधारकों द्वारा विश्वास की कमी और दोष को स्थानांतरित करने का पता चला। पुलिस ने संकेत दिया कि एनजीओ सहयोगी नहीं थे, जबकि एनजीओ ने मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा मामलों को प्राथमिकता न देने और कानून प्रवर्तन प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाली एक मजबूत पितृसत्तात्मक मानसिकता होने की बात की। प्रशिक्षण और जागरूकता में सीमाओं के अलावा, सीमा अधिकारियों ने सीमा पर पहचाने गए मामलों की जांच में स्थानीय पुलिस की ओर से दिखाई गयी कम प्राथमिकता को हरी झंडी दिखाई।

पीड़ितों व स्थानीय समुदाय से सहयोग अपर्याप्त है

हितधारकों ने शत्रुतापूर्ण और असहयोगी होने वाले पीड़ितों की पहचान जांच और पहचान की प्रक्रिया के दौरान और अदालतों में भी, एक बड़ी चुनौती के रूप में पहचान की।

पीड़ितों को केस दर्ज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है

मानव तस्करी पीड़ितों ने वेश्यालय मालिकों और पुलिस पर भी शिकायत दर्ज नहीं करने या दुर्व्यवहार करने वाले/वेश्यालय मालिक/ग्राहक के खिलाफ कार्रवाई करने और सामाजिक कलंक के प्रति अपने डर से संबंधित अत्यधिक दबाव को रेखांकित किया। लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों ने ऐसे उदाहरण साझा किए जिनमें पुलिस ने उनकी कहानी पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और जहां कानून प्रवर्तन अधिकारियों में सहानुभूति और संवेदनशीलता की सामान्य कमी थी।

मानव तस्करी के पीड़ितों की जांच और पहचान में सुधार हेतु सिफारिशें

लक्षित हितधारक : सरकार

मानव तस्करी के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और हॉटस्पॉट का मापन

अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों और/या हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जिला/राज्य सरकारों द्वारा संवेदनशीलता मापन। मापन क) मौजूदा संवेदनशील क्षेत्रों, ख) अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों, और ग) संभावित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और तस्करी की रोकथाम और हॉटस्पॉट क्षेत्रों से पीड़ितों की पहचान करने के लिए केंद्रित रणनीतियों की सूचना देगा।

मानक दिशा–निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करें

केंद्र/राज्य सरकारों/पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को अन्य हितधारकों के सहयोग से मानव तस्करी पीड़ितों की कुशल जांच और पहचान के लिए पुलिस के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करने चाहिए। क) मौजूदा संवेदनशील क्षेत्रों, ख) अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों, और ग) संभावित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और तस्करी की रोकथाम और हॉटस्पॉट क्षेत्रों से पीड़ितों की पहचान करने के लिए केंद्रित रणनीतियों की सूचना देगा।

लक्षित हितधारकः कानून प्रवर्तन

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से कानून प्रवर्तन प्रतिक्रियाओं को मजबूत करना

राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों द्वारा मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा और उनके प्रतिच्छेदनों की समग्र अवधारणात्मक समझ के लिए प्रशिक्षण।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो/राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों को लिंग और लिंग आधारित हिंसा की व्यापक समझ की दिशा में – जिसका कि महिलाओं, पुरुषों और समलैंगिक के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा सामना किया जाता है– लिंग संवेदीकरण को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल करना अनिवार्य करना चाहिए। जेंडर संवेदीकरण को सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों के आधार पर पूर्वकल्पित धारणाओं और पूर्वाग्रहों का समाधान करना चाहिए। मानव तस्करी और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर कानूनों के मूल और प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित समझ में सुधार करने के लिए पुलिस हेतु कानूनी ढांचे पर कठोर प्रशिक्षण प्रदान करें।

क्षेत्र स्तर पर सीखने की प्रभावशीलता और उपयोगिता को मापने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ निगरानी और प्रभाव आकलन तैयार करना।

लक्षित हितधारकः सेवा प्रदाता

समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करें

गैर सरकारी संगठनों को सरकार के सहयोग से समुदायों व जनता के बीच मानव तस्करी पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए, विशेष रूप से तस्करों के तौर–तरीकों को उजागर करना, ताकि मानव तस्करी मामलों की बेहतर रिपोर्टिंग को सक्षम बनाया जा सके।
ग्राम स्तर पर मानव तस्करी को रोकने में प्रभावी प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनने के लिए ग्राम नेताओं/पंचायतों, और धार्मिक नेताओं की भागीदारी के साथ मजबूत समुदाय–आधारित निगरानी व्यवस्था हो।

पीड़ितों की पहचान में गंभीर चुनौतियों और संकेतकों और जोखिमपूर्ण कारक पर आधारीत चेकलिस्ट की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए, इस मुद्दे का संक्षिप्त विवरण 'व्यक्तियों की तस्करी पर संकेतकों की चेकलिस्ट' के साथ पूरक है जिसका उपयोग पुलिस (या अन्य पहले उत्तरदाताओं) द्वारा पीड़ित की पहचान के लिए किया जा सकता है।